बिहार सरकार
वित्त विभाग
अधिसूचना

पत्रांक- एम-4-12/2015-7806 / वि० पटना, दिनांक- 30.09.16

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-13अ के उपनियम-(ग) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या- 1682/वि०, दिनांक 01.03.2016 द्वारा बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131 अ के उपनियम-(ग) में किये गये प्रावधान में प्रावधानित शब्द समूह ''एक मात्र निविदा शेष हो'' के स्थान पर ''एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो'' प्रतिस्थापित किया जाता है। तद्नुसार प्रावधान निम्न होंगेः-

''क्रेता विभाग द्वारा प्राप्त तकनीकी बोली (Technical Bid) का मूल्यांकन सक्षम समिति या प्राधिकारी के द्वारा किये जाने के पश्चात वित्तीय बोली (Financial Bid) के मूल्यांकन हेतु एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो तो उसके लिए तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जायेगी। अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो, तो उस विषय का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।''

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक- एम-4-12/2015-7806/वि० पटना, दिनांक- 30.9.16

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)